न्यायालय सिविल जज जू0डि0, मऊ, चित्रकूट।
मूल वाद संख्या–47/2020
शंकरदयाल आदि बनाम रामनरेश

22.12.2020:–

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष को अमीन आख्या 17ग2 व आपत्ति 22ग2 पर सुना गया। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

निस्तारण अमीन आख्या 17ग2

न्यायालय के आदेश दिनांक 30.05.2020 के अनुपालन में न्यायालय अमीन द्वारा दिनांक 13.08.2020 को विवादित स्थल का निरीक्षण कर दिनांक 14.08.2020 को अपनी आख्या 17ग2 प्रस्तुत की गयी है।

प्रतिवादी पक्ष द्वारा आपत्ति 22ग2 दाखिल कर अभिकथन किया गया है कि अमीन आख्या में विवादित भूमि अ,ब,स,द को वादीगण का मकान व सेहन बताया गया है, जो गलत है। विवादित भूमि पर पहले चन्द्रभवन व लालमन का मकान बना था जो यमुना नदी के बाढ़ में गिर गया था तथा जिसे प्रतिवादी द्वारा क्रय किया गया है। इस तथ्य का न्यायालय अमीन द्वारा कोई उल्लेख नही किया गया है। प्रतिवादी का विवादित भूमि पर स्वामित्व व कब्जा है तथा विवादित भूमि पर दस ट्रॉली मिट्टी डालकर समतल बनवाया है। न्यायालय अमीन द्वारा आख्या में प्रतिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों का उल्लेख नही किया गया तथा मात्र वादी द्वारा बताए गए तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रार्थना की गयी है कि अमीन आख्या को निरस्त किया जाए।

वादी पक्ष द्वारा अमीन आख्या के विरूद्ध कोई आपत्ति न होने का मौखिक अभिकथन किया गया है।

न्यायालय अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या कागज संख्या 17ग2 के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय अमीन द्वारा मय नजरी नक्शा के आख्या प्रस्तुत की गयी है। विवादित भूमि पर स्वामित्व इत्यादि के संबंध में न्यायालय आख्या में जो भी तथ्य अंकित किए गए हैं वे साक्ष्य का विषय है तथा न्यायालय अमीन की आख्या में उनका कोई महत्व नही है। प्रतिवादी द्वारा जो भी आपत्तियॉ की गयी हैं वह सभी साक्ष्य का विषय है। पत्रावली में अभी साक्ष्य नही हुआ है। साक्ष्य

के स्तर पर उभय पक्ष को अवसर प्राप्त होगा कि वह इन तथ्यों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। अतः अमीन आख्या 17ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्ट किए जाने योग्य है।

आदेश

अमीन आख्या 17ग2 साक्ष्य के अधीन पुष्ट की जाती है। तदनुसार आपत्ति 22ग2 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते सुनवायी/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 दिनांक 05.01.2021 को पेश हो।

(सुमित कुमार)
सिविल जज जू0डि0
मऊ, चित्रकूट।
आई0डी0 नं0– यू0पी02315